रजिस्टर्ड नं० पी०/एम० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 1 फरवरी, 1988/12 माघ, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 1 फरवरी, 1988

क्रमांक एल० एल० आर० (डी०)(6)8/86-लैजिस्लेसन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा तारीख 1 फरवरी, 1988 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थावर

सम्पत्ति अधिग्रहण विधेयक, 1987 (1987 का 22) को वर्ष 1988 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक के रूप में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
राजकुमार महाजन,
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

1988 का अधिनियम संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987

(राष्ट्रपति द्वारा तारीख 1 फरवरी, 1988 को यथा अनुमोदित)

राज्य के प्रयोजनों के लिए स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण करने या स्थावर सम्पत्ति के अधिग्रहण के जारी रहने का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1987 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह जुलाई, 1983 के अठाईसवें दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनिर्णय" से धारा 9 के अधीन मध्यस्थ द्वारा दिया गया कोई अधिनिर्णय अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार द्वारा, इस अधिनियय के अधीन ऐसे क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के पालन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "भू-स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय किसी परिसर का, चाहे अपन वास्ते या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते या उसकी ओर से, या उसके फायदे के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में किराया प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, या जो इस प्रकार किराया प्राप्त करता या किराया प्राप्त करने का हकदार होता, यदि परिसर किसी अभिधारी को किराए पर दिए गए होते;

(ङ) "शासकीय राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(च) किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में "हितबद्ध व्यक्ति" पद के अन्तर्गत, इस अधिनियम के अधीन उस सम्पत्ति के अधिग्रहण के कारण संदेय प्रतिकर में

हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति हैं ;

(छ) "परिसर" से कोई इमारत या इमारत का भाग अभिप्रेत है ; और

(i) ऐसी इमारत या इमारत के भाग से संबधित उद्यान, मैदान और उपगृह, यदि कोई हों; और

(ii) ऐसी इमारत या इमारत के भाग के अधिक फायदाप्रद उपयोग के लिए उसमें की गई कोई फिटिंग, उसके अन्तर्गत है ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "सम्पत्ति" से हर प्रकार की स्थावर सम्पत्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति में या उसके बारे में अधिकार हैं ;

(ञ) "अभिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिस द्वारा या जिसकी ओर से किन्हीं परिसरों का किराया संदेय है और इसके अन्तर्गत ऐसे उप-अभिधारी और अन्य व्यक्ति हैं जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अभिधारी के अधीन हक व्युत्पन्न हुआ है।

स्थावर सम्पति अधिग्रहण करने की शक्ति।

3. (1) जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि कोई सम्पत्ति किसी लोक प्रयोजन के लिए, जो राज्य का प्रयोजन है, आवश्यक है या आवश्यक होनी सम्भाव्य है, और सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, तो सक्षम प्राधिकारी—

(क) स्वामी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से जिस का सम्पत्ति पर कब्जा हो, लिखित नोटिस द्वारा, (उसमें अधिग्रहण का प्रयोजन विनिर्दिष्ट करत हुए) ऐसे नोटिस की उस पर तामील होने की तारीख से तीस दिन के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि सम्पत्ति क्यों अधिगृहीत नहीं की जानी चाहिए ;
और

(ख) आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि न ही सम्पत्ति का स्वामी और न ही कोई अन्य व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना, सम्पत्ति का व्ययन करेगा या उसमें संरचनात्मक परिवर्त्तन करेगा या अभिधारी को किराए पर देगा, जब तक कि दो मास से अनधिक ऐसी अवधि का अवसान नहीं हो जाता, जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) यदि, सम्पत्ति में हितबद्ध या उस सम्पत्ति पर कब्जा रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए हेतुक पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा सम्पत्ति का अधिग्रहण कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जो अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसी सम्पत्ति या उसके भाग का,—

(क) जो उसके स्वामी द्वारा वास्तव में अपने या कुटुम्ब के निवास के रूप में प्रयोग की जाती है; या

(ख) जो या तो जनता द्वारा अनन्यतः धार्मिक पूजा के लिए या पाठशाला, अस्पताल, लोक पुस्तकालय या अनाथालय के रूप में या ऐसे धार्मिक स्थान या ऐसी पाठशाला, अस्पताल, पुस्तकालय या अनाथालय के प्रबन्ध से सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा वास-सुविधा के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है;

अधिग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां अधिगृहीत सम्पत्ति ऐसे परिसर से मिल कर बनी है, जिन का प्रयोग अभिधारी द्वारा, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील की तारीख से ठीक पूर्व दो मास से अन्यून अवधि के लिए निवास के रूप में किया जा रहा है, वहां सम्पत्ति का कब्जा तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे अभिधारी के लिए ऐसी आनुकल्पिक वास-सुविधा की व्यवस्था न कर दी हो, जो उसकी राय में उपयुक्त हो।

अधिगृहीत सम्पत्ति का कब्जा लेने की शक्ति।

4. (1) जहां धारा 3 के अधीन कोई सम्पत्ति अधिगृहीत की गई है, सक्षम प्राधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा स्वामी और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका सम्पत्ति पर कब्जा हो, उस सम्पत्ति का, सक्षम प्राधिकारी को या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर कब्जा, अभ्यर्पित या परिदत्त करने का आदेश दे सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन दिए गए आदेश का अनुपालन करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी सम्पत्ति का कब्जा ले सकेगा और, उस प्रयोजन के लिए, ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो।

(3) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का कब्जा लेने पर, सक्षम प्राधिकारी, धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर की रकम के बारे में किसी करार के अभाव में और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी सम्पत्ति के लिए अनन्तिम प्रतिकर के रूप में, स्वामियों या उसके हकदार व्यक्तियों को उस द्वारा प्राक्कलित किराए के अस्सी प्रतिशत का प्रतिमास संदाय, निविदत्त करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन संदत्त या निविदत्त रकम को, धारा 9 के अधीन संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रतिकर की रकम का अवधारण करने के लिए, हिसाब में लिया जाएगा और जहां इस प्रकार संदत्त प्रतिकर धारा 9 के अधीन अवधारित प्रतिकर से अधिक हो, आधिक्य जब तक अधिनिर्णय की तारीख से तीन मास के भीतर प्रतिदाय न किया जाए, तत्पश्चात् संदेय किराए में से कटौती द्वारा वसूलीय होगा।

अधिगृहीत सम्पत्ति पर अधिकार।

5. (1) धारा 3 के अधीन अधिगृहीत समस्त सम्पत्ति का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो अधिग्रहण नोटिस में उल्लिखित किए जाएं।

(2) जहां धारा 3 के अधीन कोई परिसर अधिगृहीत किए गए हैं, सक्षम प्राधिकारी भू-स्वामी को यह आदेश दे सकेगा कि वह ऐसी मुरम्मत जसी आवश्यक हो और उस परिक्षेत्र में भू-स्वामियों द्वारा प्रायः की जाती है और जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, युक्तियुक्त

समय के भीतर करेगा जैसा उसमें उल्लिखित किया गया है और यदि भू-स्वामी ऐसे आदेश के अनुसरण में किन्हीं मुरम्मतों को करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी आदेश में विनिर्दिष्ट मुरम्मत को भू-स्वामी के खर्चे पर करवा सकेगा, और उसकी लागत की कटौती, वसूली के किसी ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भू-स्वामी को देय प्रतिकर में से की जा सकेगी।

अधिग्रहण से निर्मुक्ति।

6. (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत किसी सम्पत्ति को किसी भी समय निर्मुक्त कर सकेगा और सम्पत्ति को यथा साध्य उतनी अच्छी हालत में, जितनी में वह उस समय थी, जब उस का कब्जा लिया गया था, केवल युक्तियुक्त टूट-फूट और अप्रतिरोध्य शक्ति द्वारा कारित परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, प्रत्यावर्तित करेगा :

परन्तु जहां वे प्रयोजन, जिनके लिए किसी अधिगृहीत सम्पत्ति का प्रयोग किया जा रहा था, अस्तित्वहीन हो जाते हैं, सक्षम प्राधिकारी, यथाशीघ्र, सम्पत्ति को अधिग्रहण से निर्मुक्त करेगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार—

(क) हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1972 के अधीन अधिगृहीत किसी सम्पत्ति को, जिसका कब्जा अभी तक सरकार के पास है, जुलाई, 1983 के 28वें दिन से दस वर्ष की अवधि के अवसान पर या उससे पूर्व; 1973 का 20.

(ख) 1983 की जुलाई के 27वें दिन के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन, अधिगृहीत या अधिगृहीत समझी जाने वाली किसी सम्पत्ति को, उस तारीख से जिसको ऐसी सम्पत्ति का कब्जा सक्षम प्राधिकारी को धारा 4 के अधीन अभ्यर्पित या परिदत्त किया गया था या उसके द्वारा लिया गया था, दस वर्ष की अवधि के अवसान पर या उसके पूर्व;

अधिग्रहण से निर्मुक्त करेगी।

(3) जहां कोई सम्पत्ति अधिग्रहण से निर्मुक्त की जानी है, सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसी वह किसी मामले में करना या कराना आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसको सम्पत्ति का कब्जा दिया जाएगा और ऐसा कब्जा, यथासाध्य, उस व्यक्ति को जिससे अधिग्रहण के समय कब्जा लिया गया था या ऐसे व्यक्ति के हित-उत्तराधिकारियों को, दिया जाएगा।

(4) उप-धारा (2) के अधीन किसी आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को सम्पत्ति के कब्जे का परिदान, उस सम्पत्ति के बारे में सरकार को समस्त दायित्वों से उन्मोचित होगा, किन्तु यह उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति के किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति विधि की सम्यक् प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रवृत्त कराने का हकदार है, जिसको सम्पत्ति का कब्जा दिया जाता है।

(5) जहां कोई व्यक्ति, जिस को अधिगृहीत सम्पत्ति का कब्जा दिया जाना है उपलब्ध नहीं है और उसकी ओर से कोई अभिकर्ता या कोई व्यक्ति परिदान स्वीकार करने के लिए सशक्त नहीं है, वहां सक्षम प्राधिकारी एक नोटिस, यह घोषित करते हुए कि

सम्पत्ति अधिग्रहण से निर्मुक्त की जाती है, सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर लगवाएगा और राजपत्र में भी नोटिस प्रकाशित कराएगा।

(6) जब उप-धारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, तब ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति ऐसे प्रकाशन की तारीख को और से अधिग्रहण के अधीन नहीं रह जाएगी और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उस का परिदान उस व्यक्ति को किया गया है जो उसके कब्जे का हकदार है और सरकार उस तारीख के पश्चात् किसी भी अवधि के लिए उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(7) जहां इस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत कोई सम्पत्ति या उस का कोई महत्वपूर्ण भाग अग्नि, भूचाल, आंधी, बाढ़ या किसी सेना की संक्रिया या भीड़ द्वारा हिंसा या अन्य अप्रतिरोध्य बल के कारण सम्पूर्णतः नष्ट हो जाता है या सारतः और स्थायी रूप से उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उसे अधिगृहीत किया गया था, अनुपयुक्त हो जाता है, वहां सरकार के विकल्प पर अधिग्रहण शून्य होगा :

परन्तु इस उप-धारा का फायदा सरकार को उपलब्ध नहीं होगा जहां ऐसी सम्पत्ति को क्षति, सरकार के दोषपूर्ण कार्य या व्यक्तिक्रम से हुई हो।

अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए आवेदन।

7. (1) किसी सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात्, सम्पत्ति का स्वामी या ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति, अधिग्रहण से इसकी निर्मुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा :

परन्तु ऐसा आवेदन सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व किया जाएगा यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों जिन पर स्वामी या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति, धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कारण बताने के लिए दिए गए अवसर पर, जोर नहीं दे सका।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर सक्षम प्राधिकारी, स्वामी या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति से, ऐसी जानकारी मंगाने पर जैसी आवश्यक पाई जाए या ऐसी और जांच करने पर जैसी वह आवश्यक समझे उस के सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे।

अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए अतिरिक्त आवेदन।

8. धारा 7 के अधीन अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए आवेदन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामंजूर किए जाने और धारा 12 के अधीन राज्य सरकार के समक्ष दाखिल अपील के भी नामंजूर किए जाने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मुक्ति के लिए अगला आवेदन दो वर्ष की अवधि के अवसान तक, ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु स्वामी या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, प्रथम अपील की नामंजूरी के दो वर्ष के भीतर दूसरा आवेदन किया जा सकेगा यदि आगे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों जिन पर पूर्ववर्ती आवेदन में जोर नहीं दे सका हो।

प्रतिकर अवधारित करने के

9. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई सम्पत्ति अधिगृहीत की जाए, वहां प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जिस की राशि इस में इसके पश्चात् उपबंधित रीति और

सिद्धांत और पद्धति ।

सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी ;

अर्थात् :—

(क) जहां प्रतिकर की राशि करार द्वारा निश्चित की जाए, वह ऐसे करार के अनुसार संदत्त की जाएगी ;

(ख) जहां ऐसा कोई करार नहीं हो सकता है वहां सरकार ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगी जो उच्च न्यायालय का न्यायधीश है या रहा है या उस रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित है ;

(ग) सरकार किसी विशिष्ट मामले में, ऐसे व्यक्ति को, जिसको अधिगृहीत सम्पत्ति की प्रकृति के बारे में विशेषज्ञीय जानकारी प्राप्त है, मध्यस्थ की सहायता के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकेगी और जहां ऐसा नामनिर्देशन किया जाता है वहां वह व्यक्ति जिसे प्रतिकारित किया जाना है, उसी प्रयोजन के लिए किसी असैसर को नाम निर्देशित कर सकेगा ;

(घ) मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों के प्रारम्भ पर, सरकार और वह व्यक्ति जिसको प्रतिकारित किया जाना है, यह बताएंगे कि उनका अपनी अपनी राय में प्रतिकर की उचित रकम क्या है ;

(ङ) मध्यस्थ, विवाद की सुनवाई के पश्चात् धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए सम्पत्ति अधिग्रहण के आदेश की तारीख से, संगणित एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रतिकर की रकम को, जो उसे न्याय-संगत प्रतीत होती है, अवधारित करते हुए, और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनको ऐसा प्रतिकर संदत्त किया जाएगा, अधिनिर्णय देगा और अधिनिर्णय देते समय वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को और इस धारा की उप-धारा (2) के उपबन्धों को, ध्यान में रखेगा ;

(च) जहां उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के बारे में विवाद है जो प्रतिकर के हकदार हैं, मध्यस्थ ऐसे विवाद का विनिश्चय करेगा और यदि मध्यस्थ को यह मालूम होता है कि एक से अधिक व्यक्ति प्रतिकर के हकदार ह, तो वह रकम को ऐसे व्यक्तियों में प्रभाजित करेगा ;

(छ) माध्यस्थम अधिनियम, 1940 की कोई भी बात इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी। 1940 का 10

(2) किसी सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए देय प्रतिकर की रकम उप-धारा (3) और (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:—

(क) अधिग्रहण की अवधि की बाबत इतनी आवर्ती राशि का संदाय जितनी उस किराए के बराबर है जो इस सम्पत्ति के उपयोग और अधिभोग के लिए उस दिशा में देय होती यदि वह सम्पत्ति उस अवधि के लिए पट्टे पर ली गई होती; और

(ख) ऐसी राशि या राशियां, यदि कोई हों, जो निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी मामले में हितबद्ध किसी व्यक्ति को प्रतिकारित करने के लिए आवश्यक पाई जाए, अर्थात् ——

(i) अधिग्रहण के कारण हुई धनीय हानि ;
(ii) अधिगृहीत परिसरों को खाली करने का व्यय;
(iii) अधिग्रहण से निर्मुक्त होने पर परिसर का पुनः अधिभोग लेने में व्यय; और
(iv) अधिग्रहण अवधि के दौरान सम्पत्ति की साधारण टूट-फूट से अन्यथा हुई नुकसानी, जिसके अन्तर्गत वह व्यय भी हैं जो सम्पत्ति को उस दशा में प्रत्यावर्तित करने में उपगत करना पड़े, जिस में वह अधिग्रहण के समय थी।

(3) किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उप-धारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवर्ती संदाय, जब तक सम्पत्ति, धारा 6 के अधीन अधिग्रहण से शीघ्र ही निर्मुक्त नहीं की जाती, उप-धारा (4) के उपबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित किया जायेगा ;

(क) ऐसी दशा में जहां सम्पत्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए या उससे अधिकतर अवधि के लिए अधिग्रहण के अधीन रही हो——

(i) पहली बार ऐसे प्रारम्भ की तारीख से; और
(ii) पुनः ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष के अवसान की तारीख से ;

(ख) ऐसी दशा में जिसमें ऐसी सम्पत्ति ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व पांच वर्ष से न्यूनतर अवधि के लिए अधिग्रहण के अधीन रही हो और अधिकतम अवधि जिस में धारा 6 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार ऐसी सम्पत्ति अधिग्रहण से निर्मुक्त की जाएगी, पांच वर्ष से अधिक हो, इसके अधिग्रहण की तारीख से——

(i) पहली बार ऐसी सम्पत्ति के कब्जे को अभ्यर्पित या परिदत्त करने या सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 4 के अधीन लेने की तारीख से पांच वर्ष के अवसान की तारीख से; और
(ii) पुनः खण्ड (1) के अधीन किए गए पुनरीक्षण के प्रभावी होने से पांच वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख से ;

(ग) किसी अन्य दशा में ऐसी सम्पत्ति के कब्जे को अभ्यर्पित या परिदत्त करने या सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 4 के अधीन लेने की तारीख से पांच वर्ष के अवसान की तारीख से।

(4) किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में आवर्ती संदाय, ऐसे संदाय को उप-धारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित उप-धारा (1) में उपवर्णित रीति और सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित कर के, पुनरीक्षित किया जाएगा, मानो कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन उस तारीख को अधिगृहीत की गई थी जिस तारीख से उप-धारा (3) के अधीन पुनरीक्षण किया जाना है।

(5) जहां प्रतिकर में अनेक व्यक्ति हितबद्ध हैं, सरकार के लिए स्वप्रेरणा से या उस में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर विवाद की बाबत अधिनिर्णय या अनुपूरक अधिनिर्णय देने के लिए उसे या किसी अन्य मध्यस्थ को नियुक्त करना विधिपूर्ण होगा ।

स्पष्टीकरण.—उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करते समय कोई अवधि या अवधि जिसके दौरान किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी रोक या व्यादेश के कारण कार्यवाहियां रोक दी गई हों, अपवर्जित की जाएंगी ।

प्रतिकर का संदाय ।

10. (1) किसी अधिनिर्णय के अधीन देय प्रतिकर की रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए उसके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को, ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, संदत्त की जाएगी या दी जाएगी ।

(2) प्रतिकर की रकम या उसके किसी भाग पर ब्याज, धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहण के आदेश की तारीख से रकम के संदत्त या निविदत्त किए जाने की तारीख पर्यन्त 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संदेय होगा :

परन्तु जहां ऐसा प्रतिकर या उस का कोई भाग इसके देय होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संदत्त या निविदत्त नहीं किया जाता, वहां एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए ब्याज 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण 1.—इस उप-धारा के अधीन ब्याज की संगणना के लिए, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन अनन्तिम प्रतिकर के रूप में संदत्त रकम, यदि अधिनिर्णय देते समय घटाई न गई हो तो, अधिनिर्णय के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम में से कटौती की जाएगी ।

स्पष्टीकरण 2.—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उस के लिए हकदार व्यक्तियों को प्रतिकर की रकम को निविदत्त किया जाना, इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय समझा जाएगा ।

अधिग्रहण के आदेश से अपील ।

11. (1) धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए अधिग्रहण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकेगा :

परन्तु सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हुआ था, उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसी आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह उचित समझे और सरकार के आदेश अन्तिम होंगे ।

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन अपील की जाए, सरकार सक्षम प्राधिकारी के आदेश का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर रोक सकेगी जैसी वह उचित समझे ।

अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए आवेदन को नामंजूर करने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश से अपील ।

12. (1) धारा 7 और 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर, सरकार को अपील कर सकेगा :

परन्तु सरकार, यदि इसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हुआ था, उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जैसे वह आवश्यक समझे, ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जैसे वह उचित समझे और सरकार के आदेश अन्तिम होंगे ।

प्रतिकर सम्बन्धी अधिनिर्णय से अपील ।

13. (1) धारा 9 के अधीन किए गये मध्यस्थ के अधिनिर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अधिनिर्णय की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश को अपील कर सकेगा :

परन्तु उच्च न्यायालय यदि इसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त हेतुक से समय पर अपील दाखिल करने से निवारित हुआ था, तो वह उक्त साठ दिन की अवधि के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(2) यदि वह राशि, जो उच्च न्यायालय की राय में, मध्यस्थ द्वारा प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की जानी चाहिए थी उस राशि से अधिक हो जो मध्यस्थ ने प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की है, तो उच्च न्यायालय निदेश दे सकेगा कि सक्षम प्राधिकारी ऐसी अधिक राशि पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन अधिग्रहण के आदेश की तारीख से ऐसी अधिक राशि के संदत्त या निविदत्त किए जाने की तारीख पर्यन्त, नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदत्त करेगा :

परन्तु उच्च न्यायालय यह निदेश भी दे सकेगा कि जहां ऐसी अधिक राशि या उस का कोई भाग धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन अधिग्रहण के आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख के पश्चात् संदत्त या निविदत्त किया जाता है, वहां ऐसी अधिक राशि की रकम पर या उस के भाग पर, जो अवसान की ऐसी तारीख से पूर्व संदत्त या निविदत्त नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त अवधि के अवसान की तारीख से, 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

स्पष्टीकरण.—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस के लिए हकदार व्यक्तियों को प्रतिकर की रकम का निविदत्त किया जाना, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए विधिमान्य संदाय समझा जाएगा ।

सक्षम प्राधिकारी और मध्यस्थ को सिविल न्यायालयों की कतिपय शक्तियों का प्राप्त होना।

14. सक्षम प्राधिकारी और धारा 9 के अधीन नियुक्त मध्यस्थम् को, इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, जांच या मध्यस्थम् कार्यवाही करते समय, निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय की वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय इसे प्राप्त होती हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा कराना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) साक्ष्य का शपथ पर लिया जाना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन नियुक्त करना ।

जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति।

15. सरकार या सक्षम प्राधिकारी, धारा 3 या धारा 6 या धारा 9 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से ऐसे अधिकारी को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अपने पास की ऐसी जानकारी को देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत या अधिगृहीत की जाने के लिए आशयित किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट की जाए।

प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति।

16. सक्षम प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त कोई अधिकारी यह अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश दिया जाना चाहिए और यदि दिया जाना है, तो किस रीति में या इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, किसी सम्पत्ति में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा ।

नोटिस और आदेश की तामील।

17. (1) इस धारा और किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया या दिया गया प्रत्येक नोटिस या आदेश,—

(क) साधारण स्वरूप के किसी वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले किसी नोटिस या आदेश की दशा में, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा; और

(ख) किसी व्यष्टिक, निगम या फर्म को प्रभावित करने वाले किसी नोटिस या आदेश की दशा में, उसकी तामील, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के, यथास्थिति, आदेश XXIX के नियम 2 या आदेश XXX के नियम 3 में समन की तामील के लिए उपबंधित रीति, से की जाएगी; और 1908 का 5

(ग) किसी व्यष्टिक व्यक्ति (जो निगम या फर्म नहीं है) को प्रभावित करने वाले नोटिस या आदेश की दशा में, उसकी तामील ऐसे व्यक्ति पर—

(i) इसे उस व्यक्ति को परिदत्त या निविदत्त कर के ; या

(ii) यदि इसे इस प्रकार उसे परिदत्त या निविदत्त नहीं किया जा सकता है, तो इसे ऐसे व्यक्ति के किसी अधिकारी या कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को परिदत्त या निविदत्त कर के या उसकी एक प्रति उस परिसर के, जिसके बारे में यह ज्ञात है कि उसमें उस व्यक्ति ने अन्तिम बार निवास किया है, या कारबार किया है या व्यक्तिगत रूप से अभिलाभों के लिए कार्य किया है, बाह्य द्वार या किसी सहजदृश्य भाग पर लगा कर ; या

(iii) इन साधनों द्वारा तामील करने में असफल रहने पर, डाक द्वारा की जाएगी ।

(2) जहां सम्पत्ति का स्वामित्व विवादग्रस्त है या जहां सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता हो और नोटिस या आदेश की तामील असम्यक विलम्ब के बिना नहीं की जा सकती हो, नोटिस या आदेश की तामील इसे राजपत्र में प्रकाशित कर के, और जहां तक सम्भव हो, उस सम्पत्ति के जिससे इसका सम्बन्ध है, किसी सहजदृश्य भाग पर उसकी एक प्रति लगा कर, की जा सकेगी ।

सुखाचार में विघ्न न डालना ।

18. इस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत या अर्जित किसी सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित सम्मति के बिना या मुरम्मत करने या नगरपालिका की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के प्रयोजनों के सिवाय, जानबूझ कर ऐसी सम्पत्ति से संलग्न सुविधा या सुखाचार में विघ्न नहीं डालेगा या उसके साथ स्थायी उपयोग के लिए दी गई किसी वस्तु को न हटाएगा, न नष्ट या बेकार करेगा और न ही सम्पत्ति के लिए दिए गए प्रदाय या सेवा को बन्द करेगा या बन्द करवाएगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

19. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि धारा 11, 12 और 24 के अधीन के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन इस द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकार के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई सभी अधिसूचनाएं, यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखी जाएंगी।

सद्भाव-पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

20. (1) इस अधिनियम या तद्धीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन, या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

(2) सरकार या सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या होने के लिए सम्भाव्य किसी नुकसानी के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध न होगी ।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।

21. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, किसी भी न्यायालय को, किसी ऐसे मामले में जिसमें सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अवधारण के लिए सशक्त है, अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी, और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

अपराधों के लिए शास्ति ।

22. जो कोई भी इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में बाधा डालेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, और जब अपराध निरन्तर हो, तब अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस के दौरान अपराध निरन्तर रहता है, पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना ।

23. सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक मध्यस्थ और सरकार द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सशक्त प्रत्येक अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्त्तव्य का पालन करते समय भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। 1860 का 45.

नियम बनाने की शक्ति ।

24. (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 3 या धारा 6 के अधीन जांच करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन मध्यस्थम् कार्यवाहियों और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) प्रतिकर की रकम अवधारित करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत, संदाय का ढंग और ऐसे प्रतिकर की शर्तें ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन मध्यस्थ के समक्ष और अपील में कार्यवाहियों की लागत के प्रभाजन में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत ;

(ङ) नोटिस और आदेशों के तामील की रीति ;

(च) किराया और इस की वसूली;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के जिस में उसे इस प्रकार रखा गया है या उपर्युक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है, तो तत्पश्चात् वह उस परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व

विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्थावर सम्पतियों के कतिपय अधिग्रहण का विधि-मान्यकरण।

25. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी —

(i) हिमाचल प्रदेश अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1972 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिगृहीत कोई स्थावर सम्पत्ति (उस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत समझी गई किसी सम्पत्ति सहित) जो ऐसे अधिग्रहण से जुलाई, 1983 के 28वें दिन से पूर्व निर्मुक्त नहीं की गई है ;

(ii) हिमाचल प्रदेश रिक्वीजिशनिंग ऐण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1972 के अधीन सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जुलाई, 1983 के 28वें दिन के पश्चात् अधिगृहीत की गई आशयित कोई स्थावर सम्पत्ति और जो ऐसे अधिग्रहण से निर्मुक्त नहीं की गई है, ऐसे अधिग्रहण की तारीख से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उक्त सम्पत्ति अधिगृहीत या धारित की गई थी, अधिगृहीत की गई समझी जाएगी और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे :

परन्तु ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिग्रहण की, किसी भी अवधि के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए अवधारण और अधिनिर्णय के लिए सभी करार, जहां तक भावी प्रतिकर का सम्बन्ध है, विधिमान्य होंगे और सदैव विधिमान्य रहे समझे जाएंगे और निरन्तर प्रवृत्त रहेंगे तथा उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रतिकर के संदाय को लागू होंगे।

अधिगृहीत सम्पत्ति सम्बन्धी किराया और नुकसानी का भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति।

26. (1) किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित सरकार द्वारा बनाए जाएं, किसी अधिगृहीत सम्पत्ति की बाबत किराए के रूप में कोई देय राशि जो बकाया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, संदाय के लिए दायी व्यक्ति से उसी रीति में वसूल की जाएगी जिसमें भू-राजस्व की बकाया बसूल की जाती है।

(2) जहां कोई व्यक्ति किसी, अधिगृहीत सम्पत्ति के अप्राधिकृत अधिभोग में है, सक्षम प्राधिकारी, विहित रीति में, उक्त सम्पत्ति के प्रयोग और अधिभोग के कारण हुई नुकसानी का निर्धारण कर सकेगा, जैसे वह उचित समझे और, डाक द्वारा या ऐसी अन्य रीति में, जैसी इस निमित बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, तामील नोटिस द्वारा उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, नुकसानी का संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (2) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नुकसानी का संदाय करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, तो नुकसानी

उसी रीति में वसूल की जाएगी जिसमें भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

निरसन और व्यावृत्तियां।

27. (1) हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अध्यादेश, 1987 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। 1987 का

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उप-धारा (1) के अधीन निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई मानी जायेगी मानो कि यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त हो गया था जिसको ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।